न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - कैलाश चन्द गुर्जर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र 22/2022

अजयान

1.श्री अमरेन्द्रसिंह पुत्र श्री छत्रसिंह जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी सी । बसन्त विहार, ओढ़िया आर मोड़क गांव, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान।

वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. हरिसिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. जुगराज सिंह पिता डूंगर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. पुष्पेन्द्र सिंह पिता डूंगर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
5. भरत पिता डूंगर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
6. लोकेन्द्र सिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
7. गजेन्द्र सिंह पिता भंवर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी केलुखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
8. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक 19.07.2022

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय मे एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया है, जो सुदृढ़ तथ्यो पर आधारित होकर अवश्य ही प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होगा, लेकिन उक्त प्रकरण के निस्तारण होने मे समय लगने की संभावना है, इस बीच में अप्रार्थीगण द्वारा वादी के खातेदारी की भूमि मे खडी सरसों की फसल पर कब्जा कर फसल को खुर्द बुर्द किया जा रहा है, इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मौजा केलुखेड़ी प.ह.बडोदिया की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 5 खसरा संख्या 126, 127, 128 कुल किता 03 रकबा 2.0300 है0 एवं ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 4 खसरा संख्या 137 रकबा 4.7500 है0 एवं ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 3 खसरा 138 रकबा 4.8000 है0 भूमि इस प्रकार कुल रकबा 11.58 है0 भूमि खाते मे वादी के खाते दर्ज रिकोर्ड है, जिस पर प्रार्थी कदीमी समय से काश्त करता चला आ रहा है तथा खाता संख्या 3 व 4 पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा झालरबावडी से ऋण ले रखा है तथा खाता संख्या 5 पर बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा एकलिंगपुरा से ऋण ले रखा है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थी के पिता श्री छत्रसिंह जी द्वारा क्रय की थी तथा क्रय दिनांक से ही प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान मे अभी सरसों की फसल बुवाई कर रखी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 द्वारा दिनांक 17.02.2021 को अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है उक्त बात की

उपखण्ड अधिकारी

जानकारी जब प्रार्थी को हुई तो प्रार्थी गोडक गांव से अपनी उक्त कृषि भूमि की देखरेख करने आया तो वहां आकर देखा कि अप्रार्थी संख्या 01 से 07 द्वारा प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमियों में प्रवेश नहीं करने दिया, इस पर प्रार्थी ने कहा कि उक्त जमीन मेरे खाते की है, इस पर कब्जा क्यों कर रहे हो, इतना कहने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 07 प्रार्थी के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा धमकियां दी कि अगर तु इस जमीन पर आज के बाद आ गया तो तुझे व तेरे परिवारवालों को जान से मार डालेंगे तथा प्रार्थी को डरा धमकाकर उसके खाते की भूमि से भगा दिया जिसकी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.02.2022 को थाना रावतभाटा में दी तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 मना करने पर भी नही मान रहे है तथा लडाई झगडा कर रहे है तथा प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि में बोई हुई फसल सरसों को भी जबरन कब्जा कर खुर्द बुर्द कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 वर्णित प्रार्थी के खाते की आराजियात पर अप्रार्थी संख्या 01 से 07 जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर फसल को नहीं काटने दे रहे है तथा फसल को काटकर खुर्द बुर्द करने पर आमदा है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि जो कि ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 5, 4 व 03 की आराजी संख्या 126, 127, 128, 137, 138 कुल रकबा 11.58 है0 कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व फसल कटाई, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे, इस बाबत आदेश प्रदान कर डिक्री जारी की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा केलुखेडी प0ह0 बडोदिया में खाता संख्या 5 खसरा संख्या 126, 127, 128 कुल किता 03 कुल रकबा 2.0300है0 एवं ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 4 खसरा संख्या 137 रकबा 4.7500 है0, ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 3 खसरा संख्या 138 रकबा 4.800 है0, इस प्रकार कुल रकबा 11.58 है0 भूमि प्रार्थी अमरेन्द्र सिंह के खाते दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार कर शेष कथन अस्वीकार होकर कथन है कि आज से 40 वर्ष पूर्व प्रार्थी अमरेन्द्र सिंह के पिता श्री छत्र सिंह जी के अप्रार्थीगण भंवर सिंह, हरिसिंह की माता अनोप कवंर राखी बांधती थी तथा छत्रसिंह जी ने अनोप कंवर को अपनी राखी डोरे की बहन बना रखा था, जिससे छत्र सिंह जी ने अपने खाते की कृषि भूमि जो कि ग्राम सेमलिया व केलूखेडी में स्थित है, में से रकबा 28 बीघा कृर्षि भूमि राशि 80000/–अक्षरे अस्सी हजार रूपये में अप्रार्थीगण के पिता प्रताप सिंह जी को बेचान कर दी थी, जिसमें से ग्राम सेमलिया में 14 बीघा कृर्षि भूमि बेचान की थी, उक्त आराजीयात के विक्रय के समय ग्राम के मौतबीर व्यक्ति जिनमें मोड सिंह पिता श्री उदय सिंह, मनोहर सिंह पिता बापू सिंह, चेन सिंह पिता मोती सिंह, सरदार सिंह पिता भैरूसिंह निवासी केलुखेडी मौजूद थे, जिन्हे भी उक्त कृर्षि आराजियात छत्रसिंह द्वारा बेचान करने व प्रतापसिंह द्वारा खरीद करने की जानकारी है तथा बेचान करने के बाद अप्रार्थीगण के पिता श्री प्रताप सिंह जी के द्वारा बार–बार छत्र सिंह जी को कहां कि उक्त ग्राम सेमलिया की 14 बीघा व केलुखेडी की 14 बीघा कुल 28 बीघा कृर्षि भूमि की रजिस्ट्री मेरे नाम करवा दो किन्तु छत्रसिंह जी ट्रांसफर बीकानेर हो जाने से में बाद मे रजिस्ट्री करवा दूंगा तथा बाद में उनका स्वर्गवास हो गया तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके हिस्से की कृर्षि भूमि वादी अमरेन्द्र सिंह के नाम खाते दर्ज रिकार्ड हो गई है तथा अप्रार्थीगण विगत 40 वर्षो से दोनो गांवों की 14–14 बीघा कुल 28 बीघा कृर्षि भूमि पर काविज होकर निर्विवाद काश्त करते चले आ रहे है तथा अप्राथीगणों ने काफी अग मेहनत कर उक्त 28 बीघा कृर्षि भूमि को काबिल काश्त बनाया, अब प्रार्थी के मन में बदयान्ती आ जाने से तथा बार बार उक्त कृर्षि भूमि की रजिस्ट्री अप्रार्थीगणों द्वारा अपन नाम कराने की कहने पर उनके द्वारा टालमटौल की जा रही है तथा अप्रार्थीगण को उनके खरीदशुदा कृषि आराजीयात से बेदखल करने के लिए यह झूठा बेदखली का दावा प्रस्तुत किया गया है। अन्त में ग्राम मौजा केलुखेडी की खाता संख्या 5 खसरा संख्या 126, 127, 128 कुल किता 03 कुल रकबा 2.0300है0 एवं ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 4 खसरा संख्या 137 रकबा 4.7500है0, ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 3 खसरा संख्या 138 रकबा 4.800 है0, इस प्रकार कुल रकबा 11.58 है0 भूमि में से अप्रार्थीगण 14 बीघा कृर्षि भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहे है, अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा कर खुर्द बुर्द नहीं किया है, ना ही प्रार्थी की फसल को नुकसान पंहुचाया है, प्रार्थीगणों ने कवल अप्रार्थीगणों को उनके द्वारा खरीद की हुई 14 बीघा भूमि से बेदखल

करने के लिए यह झूठा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करने का प्रस्तुत किया गया है, जो सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम केलुखेडी प0ह0 बडोदिया तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 5, 4 व 03 की आराजी संख्या 126, 127, 128, 137, 138 कुल रकबा 11.58 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व फसल कटाई, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता प्रताप सिंह ने उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को प्रार्थी के पिता छत्र सिंह जी से रूपये 80000/– में क्रय की थी, तब से ही कब्जा काश्त अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता का ही है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम मौजा केलुखेडी प0ह0 बडोदिया में खाता संख्या 5 खसरा संख्या 126, 127, 128 कुल किता 03 कुल रकबा 2.0300है0 एवं ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 4 खसरा संख्या 137 रकबा 4.7500है0, ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 3 खसरा संख्या 138 रकबा 4.800 है0, कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के पिता छत्र सिंह से क्रय की हो, दस्तावेजी सबूत के अभाव में साबित नहीं होता है। जिससे अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई हक प्रथमदृष्टया होना साबित नहीं होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि जो कि ग्राम केलुखेडी की खाता संख्या 5, 4 व 03 की आराजी संख्या 126, 127, 128, 137, 138 कुल रकबा 11.58 है0 कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व फसल कटाई, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
(आर0ए0एस0)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा